



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2323]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2012/अग्रहायण 13, 1934

No. 2323]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2012/AGRAHAYANA 13, 1934

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2012

New Delhi, the 4th December, 2012

का.आ. 2817(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ए. आर. यूसुफ, जबारी मंजिल, ओसमानाबाद, मल्ला बाग, हजरतबल, श्रीनगर-190006, जम्मू और कश्मीर को दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

S.O. 2817(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri A. R. Yousuf, Jabari Manzil, Osmanabad, Malla Bagh, Hazratbal, Srinagar-190006, Jammu and Kashmir, as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from 23rd November, 2012 for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[फा. सं. 17(5)/2010-पीएल/एनजीटी (वो.-VI)]

[F.No. 17(5)/2010-PL/NGT (Vol. VI)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

SURJIT SINGH, Jt. Secy.